संख्या-190/2024/3839/22-2-2023-17(1696)/2022

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 अक्टूबर 2024

विषयः- जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोबीन उर्फ नन्हे पुत्र श्री सिराजुद्दीन, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-30391/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/एम-05-05-2023 दिनांक-09-10-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोबीन उर्फ नन्हें पुत्र सिराजुद्दीन, नंगलासाहू, थाना-भावनपुर जनपद-मेरठ का निवासी है। दिनांक 19-04-2004 को वादी व उसका भाई शहादत, कामिल, बहन नन्ही व मतलूम तारीख पर कचहरी मेरठ जाने के लिये बस के इन्तजार में खडे थे तभी बन्दी ने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चो से वादी व अन्य पर फायर किया तथा मदरसे के अन्दर गोलियों से छलनी कर शाहदत नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-545/2004 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148,307/149,302/149 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-11 मेरठ के आदेश 04-05-2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07-10-2021 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.01.2023 तक 18 वर्ष, 01 माह, 05 दिन अपरिहार तथा 21 वर्ष, 03 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी है। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, वादी व बन्दी पक्ष में विवाद समाप्त नहीं होने के कारण कोई अप्रिय घटना कारित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये बन्दी को जेल में रखा जाना उचित होने का अंकन करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इनकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, अभियुक्त के पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है। जो समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है, का अंकन करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बार्ड का अभिमत है कि दिनांक 19-04-2004 को वादी व उसका भाई शाहदत कामिल बहन नन्ही व मतलूब तारीख पर कचहरी मेरठ जाने के लिये बस के इन्तार में खड़े थे तभी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बन्दियों ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचों से वादी व अन्य पर फायर किया तथा मदरसे के अन्दर गोलियों से छलनी शाहदत नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्याय प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मोबीन उर्फ नन्हे पुत्र श्री सिराजुद्दीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोबीन उर्फ नन्हे (बन्दी संख्या-3750/2007) पुत्र श्री सिराजुद्दीन, निवासी जनपद-मेरठ को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

<u>संख्या-190/2024/3839(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

2- अधीक्षक, जिला कारागार मेरठ।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5-नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य सहबद्ध रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 06-09-2022 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-190/2024/3839/22-2-2023-17(1696)/2022

दिनांक 18 अक्टूबर 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोबीन उर्फ नन्हें पुत्र सिराजुद्दीन, नंगलासाहू, थाना-भावनपुर जनपद-मेरठ का निवासी है। दिनांक 19-04-2004 को वादी व उसका भाई शहादत, कामिल, बहन नन्ही व मतलूम तारीख पर कचहरी मेरठ जाने के लिये बस के इन्तजार में खडे थे तभी बन्दी ने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चो से वादी व अन्य पर फायर किया तथा मदरसे के अन्दर गोलियों से छलनी कर शाहदत नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-545/2004 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148,307/149,302/149 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-11 मेरठ के आदेश 04-05-2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07-10-2021 द्वारा आजीवना कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.01.2023 तक 18 वर्ष, 01 माह, 05 दिन अपरिहार तथा 21 वर्ष, 03 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी है। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, वादी व बन्दी पक्ष में विवाद समाप्त नहीं होने के कारण कोई अप्रिय घटना कारित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये बन्दी को जेल में रखा जाना उचित होने का अंकन करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इनकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, अभियुक्त के पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है। जो समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है, का अंकन करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बार्ड का अभिमत है कि दिनांक 19-04-2004 को वादी व उसका भाई शाहदत कामिल बहन नन्ही व मतलूब तारीख पर कचहरी मेरठ जाने के लिये बस के इन्तार में खड़े थे तभी बन्दियों ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचों से वादी व अन्य पर फायर किया तथा मदरसे के अन्दर गोलियों से छलनी शाहदत नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्याय प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मोबीन उर्फ नन्हे पुत्र श्री सिराजुद्दीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।